सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 22.11.2023

नाजायज गांजा के साथ मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 22.11.2023 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर सतईपुरवा के पास से मादक पदार्थ तस्कर अनीश उर्फ कल्लू को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 330 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. अनीश उर्फ कल्लू पुत्र जकरिया नि0 गरीबीपुरवा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–996/23, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01 किलो 330 ग्राम नाजायज गांजा।

गिरफ्तार कर्ता–

उ0नि0 मनोज कुमार सिंह मय टीम।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 22.11.2023

नाजायज गांजा के साथ मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री मे संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षो को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 22.11.2023 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर कटहाघाट मोड़ के पास से मादक पदार्थ तस्कर राजू गुप्ता को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राजू गुप्ता पुत्र श्री राम गोपाल गुप्ता नि0 बाबागंज थाना धानेपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–997/23, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01 किलो 200 ग्राम नाजायज गांजा।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

01.मु0अ0सं0–947/22, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–158/22, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

उ0नि0 घनश्याम वर्मा मय टीम।

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में चला समस्त थानों की बैंको की बिल्डिंग का चेकिंग अभियान–</u>

<u>पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में समस्त थाना क्षेत्रों में अस्थायी/डेरे में निवास कर रहे लोगो का चेकिंग अभियान–</u>

<u>बैंक एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्र पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, सर्राफा बाजार में पुलिस बल द्वारा अनावश्यक रूप से खड़े लोगों की कि गयी चेकिंग–</u>

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा सभी बैंको की बीिल्डिंग/अस्थायी/डेरे में निवास कर रहे लोगों की चेकिंग व रात्रि गस्त के दौरान संदिग्ध लोगों की चेकिंग करने हेतु जनपद के समस्त थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षकों को निर्देश दिए गए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में आज दिनांक 22.11.2023 को समस्त थानों की पुलिस बल द्वारा अपने–अपने थाना क्षेत्रों में पड़ रही बैंकों की बिल्डिंग को चेक किया गया तथा कमजोर बिल्डिंगों की मरम्मत कराने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया तथा अपने थाना क्षेत्र में अस्थायी/डेरे में निवास कर रहे लोगो से पूछताछ कर उनके डेरो की चेकिंग की गयी साथ ही बैंक एटीएम, ग्राहक सेवा केन्द्र पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, सर्राफा बाजार में पुलिस बल द्वारा अनावश्यक रूप से खड़े व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

सराहनीय कार्य
प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 22.11.2023

06 साल से चल रहे पति–पत्नी के परिवारिक विवाद को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने कराया खत्म, पति–पत्नी एक साथ रहने को हुए राजी–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों/चौकी प्रभारियों को अपने–अपने थाना व चौकी पर प्रतिदिन जनसुनवाई करने के निर्देश दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना उमरीबेगमगंज पुलिस ने जनसुनवाई के दौरान आज दिनांक 22.11.2023 को पीड़िता पूनम सिंह नि0 ग्राम झाम बैश्य पुरवा मौजा सोनौली मोहम्मदपुर गोंडा के प्रार्थना पत्र जिसमें अंकित पति पत्नी के बीच 06 साल से चल रहे परिवारिक विवाद में कार्यवाही करते हुए दोनों उभय पक्षों को थाना उमरीबेगमगंज गोंडा बुलाया गया महिला हेल्प डेस्क पर कार्यरत महिला आरक्षी रुचि अवस्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण लगभग 04 घंटे काउंसलिंग करके समझौता के आधार पर कराया गया अब दोनों पति–पत्नी के बीच कोई विवाद नहीं है दोनों आपसी सहमति के साथ रहने को तैयार है। एक बिखरते हुए परिवार को उमरीबेगमगंज पुलिस की सार्थक मदद से बचाया गया। पति–पत्नी एक साथ हंसी–खुशी जीवन यापन करने हेतु राजी हो गए। पुलिस के इस कार्य की आम जनमानस में काफी प्रंशसा की जा रही है।

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 22.11.2023

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल–11 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में चलाए जा रहे वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोंडा के थाना खरगूपुर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।